


(13) (14)
शुद्धीकृत पात्र विना संग्रह विकलाल
प्रदूषित वार्षिक, हस्तामो (नंगीदार) (14)



VERIFIED BY

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

13AA 053104



[Handwritten signature]

(नियम 4क देखिए)।
विधान सभा क्षेत्र ५९ हजारी जनपद नैनीताल (उत्तराखण्ड)

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)
आफिसर के समक्ष अध्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला शपथ पर
मैं, ग्रानिल लग्नार पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री शहजाद खिंच
..... आयु (३१) वर्ष, जो काठगोदाम का / की निवासी हूँ
और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ / करती हूँ / शपथ पर निम्नलिखित
कथन करता हूँ / करती हूँ :-

1- मैं अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आत्म विरचित किया गया है, किए गए हैं।
D.S. No. 23 (प्रथम) अभियुक्त हैं किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी
प्रस्तुत करेगा / करती :

- (i) सामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याएं विवरण भंग है।
- (ii) पुलिस धना (धाने) काठगोदाम जिला (जिले) नैनीताल राज्य उत्तराखण्ड
- (iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण,
जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है जी नहीं/शपथपत्र में विवरण भंग है।
- (iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई जी नहीं
- (v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था / थे जी नहीं
- (vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है /
हैं जी नहीं

2- मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है / नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिये कारावास से दंडादिष्ट किया गया है / नहीं किया गया है।

(यदि अभियाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :

- (i) सामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याएं जी नहीं
- (ii) न्यायालय, जिसने दंडित किया है जी नहीं
- (iii) पुलिस धना (धाने) जिला (जिले) जी नहीं राज्य उत्तराखण्ड
- (iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है नहीं
- (v) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था / सुनाए गए थे नहीं
- (vi) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है / रोके गए हैं नहीं

स्थान : हल्द्वाली

तारीख : ११-१-२०१२


अभियाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और प्रोफित करता / करती हूँ कि इस शपथपत्र की अंतर्वस्तु सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई गलतिक बात छिपायी नहीं गई है।

.....द्वितीय..... स्थान पर आज तारीख 11-1-2012 को
सत्यापित किया।


अभिसाक्षी के हस्ताक्षर



टिप्पणी :- इस प्रत्येक के बीच संम्बन्ध, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं हैं, काट दिए जाएं।

D. S. BISHT
Notary, Haldwani
Distt. Nainital IJK, India
R. No. 23(10)/2006

certified that Sri/Smt. Amil Kumar
the deponent identified by ...self
sworn & verified the contents
of the affidavit ..मेरा दस्तावेज़
on date 11/1/2012 Time ..11:00 A.M.

D. S. Bisht
Diwan Singh Bisht 11/1/2012
Advocate
Notary, Haldwani
Distt. Nainital IJK, India